

2/2/23

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) मध्य प्रदेश,

ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर-474002.

36

Office of the Principal Accountant General (Audit-I), Madhya Pradesh,

Audit Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002.

क्र. प्रशा.12/स.1/फा.39/ख-III/प्रतिनि./का.आ- 60

दिनांक:-28.07.2023

कार्यालय आदेश/Office Order

इस कार्यालय के श्री नीरज तेहलान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक (03/11000) का महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, रेलवे- वाणिज्यिक, नई दिल्ली में Spouse Ground पर उनके द्वारा स्वीकार की गयी शर्तों पर तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 28.07.2023 (अप.) को इस कार्यालय से कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, रेलवे- वाणिज्यिक, नई दिल्ली में कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थिति दें।

Consequent upon selection of Shri Neeraj Tehlan, Sr. Auditor (03/11000) of this Office, on deputation basis on Spouse Ground in the O/o the Director General of Audit, Railway-Commercial, New Delhi under general terms and conditions of deputation and the terms and conditions issued by Government of India from time to time, he is relieved from this office on 28.07.2023 (A.N.) and he is directed to join O/o the Director General of Audit, Railway-Commercial, New Delhi.

उक्त स्थानांतरण लोकहित में नहीं है। अतः उन्हें किसी भी प्रकार के कार्यग्रहण काल, प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं स्थानांतरण भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

Aforesaid transfer is not in public interest. Therefore deputation allowance, transfer TA, joining time will not be admissible to him.

उपरोक्त कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उधारग्रहीता विभाग के माध्यम से इस कार्यालय को तुरंत दें।

He shall immediately intimate his joining in the aforesaid office, to this office, through the borrowing office.

भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय जापन सं.ए.बी.14017/30/2006 स्था.(आर.आर.) दिनांक 29.11.2006 तथा कार्यालय जापन क्र. 61812009-Estt. (Pay II) दिनांक 17.06.2010 (समय समय पर संशोधित) में उल्लेखित निम्न अन्य शर्तों के अधीन प्रतिनियुक्ति नियमित होगी:-

The deputation will be regularized in terms of the following other conditions contained in DoPT. O.M. No. A.B.14017/30/2006 Estt.(R.R.) dated 29.11.2006 and O.M. No. 61812009-Estt. (Pay II) dated 17.06.2010 (amended from time to time) of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions:-

1- यह प्रतिनियुक्ति प्रारंभ में 01 वर्ष (29.07.2023 से 28.07.2024) के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति अवधि में विस्तार इस कार्यालय की प्रशासनिक सुविधा/आवश्यकता तथा कर्मचारी की निरंतर उपयुक्तता पर निर्भर होगी।

This deputation will be initially for 01 year (28.07.2023 to 28.07.2024). The extension in deputation period will depend on the administrative convenience/requirement of this office and the continued suitability of the employee.

का कार्यालय, रेलवे- वाणिज्यिक, नई दिल्ली के लिए कार्यमुक्त कर इस अनुभाग को सूचित करें ।

8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन, महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, रेलवे-वाणिज्यिक, नई दिल्ली की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
9. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ आई.एस.विंग को "Administration_personnel" लिंक के अंतर्गत अपलोड करने हेतु तथा OIOS एवं E-Office में अद्यतन करने हेतु ।
10. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ./प्रशा-14 को इंटरनेट/ इन्टरनेट सम्बन्धी कार्य हेतु.
11. महामंत्री, ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर.
12. श्री नीरज तेहलान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक (03/11000) ।
13. सूचना पटल.


28/7/2023
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12